न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3445–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–8–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, बैतूल प्रकरण क्रमांक 163/अ–21/11–12.

———

1– लोकेश वल्द किशनलाल गौंड़
2– मीना बाई पत्नी किशनलाल
निवासीगण कोसमी जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– A मंगीबाई बेवा छोटेलाल
B कैलाश वल्द छोटेलाल
C सावित्री वल्द छोटेलाल
D रजनी वल्द छोटेलाल
E सुशीला वल्द छोटेलाल
निवासीगण ग्राम कोसमी जिला बैतूल
2– हीरासिंह वल्द भिखारी गौड़
निवासी ग्राम कोसमी जिला बैतूल
3– A बसंती बाई विधवा बाबूलाल
B इमरत वल्द बाबूलाल
C दीनू वल्द बाबूलाल
D रामकिशोर वल्द बाबूलाल
E नंदकिशोर वल्द बाबूलाल
F फूलवती बाई वल्द बाबूलाल
G फुलमा बाई वल्द बाबूलाल
4– नाथूराम उर्फ छगन लोखंडे वल्द छगनलाल लोखंडे
निवासीगण ग्राम कोसमी जिला बैतूल .....अनावेदकगण

———

श्री राजेश मालवीय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अशोक सोनी, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, बैतूल के समक्ष संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोसमी तहसील बैतूल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 45/1, 91/1 व 103 रकबा क्रमशः 0.038 हेक्टेयर, 0.257 हेक्टेयर व 2.185 हेक्टेयर उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि थी । नाथूराम गैर आदिवासी है, और उसके द्वारा नाबालिग लोकश के नाम से प्रश्नाधीन भूमि का बयनामा करा लिया गया है, अतः बयनामा दिनांक 3–7–96 मिथ्या एवं बनावटी होने से उसका अनुसमर्थन नहीं करने का आदेश दिया जाये । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 163/अ–21/11–12 दर्ज कर दिनांक 22–8–12 को आदेश पारित कर बयनामा का अनुसर्थन नहीं किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 165 (6) के दो मूल खण्ड हैं, और यह प्रकरण उक्त खण्डों के अंतर्गत नहीं आता है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि आदिवासी से आदिवासी ने क्रय की है, इसलिए संहिता की धारा 165(6) लागू नहीं होती है ।

(3) संहिता की धारा 165 (6–ख) में दो स्पष्ट प्रावधान है, जिसमें प्रथमतः कलेक्टर स्वप्रेरणा से अंतरण की जांच कर सकता है, द्वितीय 3 वर्ष के भीतर व्यथित पक्षकार द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर अवधि बाह्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

(4) संहिता की धारा 165 (6–ख) के अंतर्गत संव्यवहार से 3 वर्ष की समय–सीमा लागू होने का प्रावधान है, अतः जानकारी के दिनांक से समय–सीमा लागू नहीं होगी ।

(5) कलेक्टर को केवल उन प्रकरणों की जांच करने का अधिकार है, जो संहिता की धारा 165 (6–क) के अंतर्गत आते हैं । वर्तमान प्रकरण संहिता की धारा 165 (6–क) के अंतर्गत नहीं आता है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाथूराम लोखंडे की स्वीकृति को आदेश पारित करने का आधार बनाया गया है । यदि नाथूराम लोखंडे द्वारा बयनामा रजिस्ट्री कराई गई होती तो वह अपने विरूद्ध साक्ष्य क्यों देता ।

(7) अपर कलेक्टर द्वारा किशनलाल के साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है, जबकि किशनलाल नाम का व्यक्ति उपस्थित ही नहीं हुआ है ।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिफल कीमत के आधार पर विक्रय पत्र को संदिग्ध माना है, जबकि उक्त आधार पर विक्रय पत्र संदिग्ध नहीं माना जा सकता है ।

5/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा आदिवासी की भूमि को नाबालिग आदिवासी के नाम से नामांतरण करा लिया गया है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा अनुसमर्थन नहीं करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि नाथूराम द्वारा स्वयं भूमि अंतरण होना स्वीकार किया गया है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत साक्ष्य ली जाकर साक्ष्यों की विस्तार से विवेचना करते हुए प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में हुए विक्रय को बेनामी/बनावटी माना है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि अपर कलेक्टर ने मात्र बनावटी निष्पादित प्रश्नाधीन बेनामे के संबंध में निष्कर्ष दिया है कि बेनामा बनावटी एवं पर्याप्त कीमत के अभाव में निष्पादित हुआ है । अभी इस आधार पर, अन्य कोई कार्यवाही की जाना प्रकरण से परिलक्षित नहीं होती है । अपर कलेक्टर

द्वारा विधि के प्रावधानों एवं तथ्यों की विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर